संख्या– /XXVIII(1)/2017-53/2013

प्रेषक,

ओम प्रकाश,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1– **कुलपति / अध्यक्ष,**
NEET, UG काउंसिलिंग बोर्ड,
हे0न0ब0 चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय,
देहरादून।

2– **निदेशक,**
चिकित्सा शिक्षा विभाग,
निदेशालय, देहरादून।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–1

देहरादूनः दिनांक 31 अगस्त, 2017

विषयः– श्रीदेव सुमन सुभारती मेडिकल कॉलेज, देहरादून को शैक्षणिक सत्र 2017–18 हेतु अनुमन्य एम0बी0बी0एस0 पाठ्यक्रम की 150 सीटों पर काउंसिलिंग तथा शुल्क निर्धारण के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा रिट याचिका (सिविल)–513 / 2017 तथा रिट याचिका संख्या (सिविल)–681 / 2017 डॉ0 जगत नारायण सुभारती चैरिटेबल ट्रस्ट बनाम भारत संघ व अन्य में दिनांक 30.08.2017 (छायाप्रति संलग्न) को निम्न आदेश पारित किये गये हैं :–

> "Accordingly, we allow these writ petitions and interlocutory applications. The impunged decision of the competent authority of The Central Government dated 14 August, 2017, is quashed and set aside. Further, respondents are directed to permit the petitioner- college to admit up to 150 students until 05.09.2017 for the academic session 2017-18 and allot students through the central counselling in order of there merit for the academic session 2017-18 in the M.B.B.S. course."

2– इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संस्थान हेतु निर्गत अनिवार्यता प्रमाण पत्र के प्रस्तर–09 में विहित तथ्यों के आलोक में संस्थान को प्राप्त कुल 150 एम0बी0बी0एस0 सीटों को केन्द्रीयकृत काउंसिलिंग के माध्यम से भरे जाने तथा 150 सीटों के सापेक्ष 50 प्रतिशत राजकीय कोटे की सीटों अर्थात कुल 75 सीटों पर राज्य कोटे के अन्तर्गत तथा 50 प्रतिशत अर्थात 75 सीटों पर प्रबन्धकीय कोटे के अन्तर्गत प्रवेश कराया जाना सुनिश्चित करें। संस्थान हेतु राजकीय कोटे एवं प्रबन्धन कोटे के एम0बी0बी0एस0 पाठ्यक्रम के शुल्क के संबंध शासनादेश संख्या–1075/ XXVIII(1)/2013-32/2003 T.C-II Cover दिनांक 08.05.2013 एवं शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या–1242/XXVIII(1)/2015-77/2013 दिनांक 07.05.2015 एवं शासनादेश संख्या–2472/XXVIII(1)/2015-77/2013 दिनांक 29.09.2016 के अनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित करें।

3– मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के उक्त निर्णयानुसार दिनांक 05.09.2017 तक काउंसिलिंग कराकर छात्रों को प्रवेश दिया जाना अनिवार्य है। अतः छात्र हितों को मद्देनजर रखते हुए उक्त 150 सीटों पर केन्द्रीयकृत काउंसिलिंग नियमानुसार कराया जाना सुनिश्चित करें।

4– उक्त आदेश मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.08.2017 के क्रम में भारत सरकार द्वारा जारी किये जाने वाले आदेश की प्रत्याशा में निर्गत किये जा रहे हैं। यदि भारत सरकार द्वारा उक्त संस्थान में शैक्षणिक सत्र 2017–18 में एम0बी0बी0एस0 के प्रवेश के संबंध में कोई परिवर्तन किया जाता है या भिन्न आदेश पारित किये जाते हैं, तो भारत सरकार द्वारा निर्गत आदेश ही मान्य होंगे, उक्त के अतिरिक्त अनिवार्यता प्रमाण पत्र में उल्लिखित शर्तों/प्राविधानों के अनुसार संस्थान के सक्षम प्राधिकारी से एम0ओ0यू0 हस्ताक्षरित कराकर शासन को 03 दिवस के भीतर उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें तथा शासन द्वारा निर्गत अनिवार्यता प्रमाण पत्र में विहित शर्तों एवं प्राविधानों का अनुपालन न किये जाने की दशा में उक्तानुसार प्रदत्त अनिवार्यता प्रमाण पत्र को निरस्त कर दिया जायेगा।

संलग्नक–यथोक्त्।

भवदीय,

(ओम प्रकाश)
प्रमुख सचिव।

संख्या–1086 /XXVIII(1)/2017-53/2013 एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. अनुसचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि मा0 उच्चतम न्यायालय के निर्णय दिनांक 30.08.2017 के क्रम में समयाभाव के कारण आपके आदेशों की प्रत्याशा में निर्गत किये जा रहे हैं। कृपया उक्त निर्णय के अनुपालन में शीघ्र आवश्यक कार्यवाही संबंधी आदेश शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। (फैक्स/ई–मेल)
2. सचिव, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद, नई दिल्ली। (फैक्स/ई–मेल)
3. प्रधानाचार्य, श्रीदेव सुमन सुभारती मेडिकल कॉलेज, देहरादून।

आज्ञा से,

(डॉ0 पंकज कुमार पाण्डेय)
अपर सचिव।